अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

अभिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम हेमराज वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र नं 23/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील मे जारी हुए
18.9.19		

तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर अवगत कराया कि ग्राम किशन करेरी मे निम्न व्यक्तियो को आराजी नम्बर 569 मे आवंटन हुआ है जबकि नामान्तरण पर चस्पा ट्रेस मे आराजी नम्बर 565 का चस्पा होकर नक्शे मे तरमीमात भी उसी अनुसार होकर कृषक भी उसी आवंटित स्थान पर काबिज है। तथा वर्तमान राजस्व नक्शे मे भी तरमीमात 565 मे की हुई है जो रेकार्ड अनुसार सही नही होना अपनी रिपोर्ट मे अंकित कर आराजी नम्बर 569 मे तरमीम हेतु प्रस्तावित नक्शा ट्रेस तैयार कर प्रेषित किया गया है।

क्र स	नाम आवंटी	आवंटित आराजी नम्बर	वर्तमान नम्बर	आवंटित रकबा
01	हेमराज पिता रूपा रावत	569 / 3	1557 / 569	2 बीघा
02	तुलसीराम पिता रूपा रावत	569 / 4	1562 / 569	3 बीघा
03	रामी पिता मोहनलाल ब्रा0	569 / 1	1563 / 569	2 बीघा
04	छोगा पिता रूपा रावत	569 / 2	1561 / 569	3 बीघा

तहसीदार डूंगला से प्राप्त प्रस्ताव, अभिशषा व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद परीक्षण प्रस्ताव राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् निस्तारण हेतु सही पाया गया है। अतः ग्राम किशन करेरी के राजस्व नक्शा के अवलोकन एवं जांच के पश्चात् प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी नम्बर 569 मे ऊपर वर्णित आवंटियों के राजस्व नक्शे मे तरमीम कार्य किया जाना उचित पाया गया है। आवंटित भूमियो के क्षेत्रफल का पूर्व मे सहवन से गलत की गई तरमीम को निरस्त करते हुए प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार नक्शे मे तरमीम किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी अनुसार राजस्व नक्शा मे अंकन किया जावे।

शुद्ध किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Scanned by CamScanner